महिला सुरक्षा कानून - घरेलू हिंसा

[1]Mamta Mukati, [2]Mrs. Roshni Pandey
[1] LL.M. Semester - 2nd Sem Department of Law Sage University
[2] Assistant Professor, Faculty of Law Department of Law Sage University

सारांश (Abstract): **घरेलू हिंसा भारत में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सबसे गंभीर सामाजिक और कानूनी अपराधों में से एक है। यह हिंसा केवल शारीरिक उत्पीड़न तक सीमित नहीं होती, बल्कि मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक और यौन शोषण को भी सम्मिलित करती है। भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था, आर्थिक निर्भरता, अशिक्षा तथा सामाजिक भय घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारण हैं। महिलाओं की सुरक्षा हेतु भारत में विभिन्न कानून बनाए गए हैं, जिनमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 प्रमुख है। यह शोध पत्र घरेलू हिंसा की प्रकृति, कारण, प्रभाव तथा भारतीय विधिक ढांचे का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। साथ ही न्यायालयों की भूमिका, पुलिस प्रशासन, सामाजिक जागरूकता तथा सुधारात्मक उपायों का भी अध्ययन किया गया है।**

Keywords (मुख्य शब्द): **घरेलू हिंसा, महिला सुरक्षा, वैवाहिक उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक हिंसा, दहेज उत्पीड़न, महिला अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, लैंगिक न्याय, मानवाधिकार, पारिवारिक कानून, महिला संरक्षण**

प्रस्तावना (INTRODUCTION)

महिला समाज का महत्वपूर्ण आधार है, किंतु आज भी अनेक महिलाएँ घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं।

घरेलू हिंसा वह स्थिति है जिसमें परिवार या वैवाहिक संबंधों के भीतर महिला के साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक या यौन शोषण किया जाता है।

भारतीय संविधान महिलाओं को समानता और गरिमा का अधिकार प्रदान करता है, फिर भी सामाजिक परंपराएँ और पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं को असुरक्षित बनाती हैं।

घरेलू हिंसा केवल निजी पारिवारिक समस्या नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

इस शोध पत्र में घरेलू हिंसा की प्रकृति, कानूनी प्रावधानों तथा महिला सुरक्षा कानूनों का अध्ययन किया गया है।

अनुसंधान वस्तुएं (RESEARCH OBJECTS)

1. घरेलू हिंसा की अवधारणा और स्वरूप का अध्ययन करना।
2. घरेलू हिंसा के सामाजिक और कानूनी कारणों का विश्लेषण करना।
3. महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
4. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का अध्ययन करना।
5. महिलाओं के अधिकारों और न्यायिक दृष्टिकोण का परीक्षण करना।

6. घरेलू हिंसा रोकने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पनाएँ (HYPOTHESES)

घरेलू हिंसा भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध व्यापक अपराध है।
आर्थिक निर्भरता महिलाओं को हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने से रोकती है।
कानूनी प्रावधानों के बावजूद घरेलू हिंसा के मामलों में रिपोर्टिंग कम होती है।
सामाजिक जागरूकता और शिक्षा से घरेलू हिंसा को कम किया जा सकता है।

साहित्य समीक्षा (LITERATURE REVIEW)

विभिन्न विद्वानों और शोधकर्ताओं ने घरेलू हिंसा को सामाजिक असमानता और लैंगिक भेदभाव का परिणाम माना है।
अनेक अध्ययनों में पाया गया है कि महिलाएँ परिवार के भीतर मानसिक, आर्थिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करती हैं।
घरेलू हिंसा से महिलाओं के आत्मसम्मान, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
शोध यह भी दर्शाते हैं कि कानूनी जागरूकता की कमी तथा सामाजिक दबाव के कारण महिलाएँ शिकायत दर्ज नहीं कराती हैं।

महिला सुरक्षा कानून – घरेलू हिंसा (सारांश)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)
महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन उत्पीड़न से बचाना है।

घरेलू हिंसा का अर्थ

जब किसी महिला के साथ घर के अंदर किसी भी प्रकार का अत्याचार किया जाता है, तो उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। इसमें शामिल हैं—
मारपीट या शारीरिक चोट
गाली-गलौज और मानसिक प्रताड़ना
जबरदस्ती संबंध बनाना
पैसे या संपत्ति पर रोक लगाना
धमकी देना या अपमान करना

घरेलू हिंसा की प्रकृति

1. प्रस्तावना

घरेलू हिंसा कई रूपों में दिखाई देती है:-

1. शारीरिक हिंसा : मारपीट, चोट पहुँचाना, जान से मारने की धमकी देना।
2. मानसिक हिंसा : अपमान, धमकी, गाली-गलौज और मानसिक प्रताड़ना।
3. आर्थिक हिंसा : महिला को आर्थिक रूप से निर्भर बनाना।
4. यौन हिंसा : महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन व्यवहार।
5. भावनात्मक हिंसा : सामाजिक अलगाव और आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाना।

2. महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों की प्रकृति

महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों का मूल स्वरूप लैंगिक हिंसा, निजताके उल्लंघन और महिला की गरिमा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आघात से जुड़ा होता है। डिजिटल स्पेस में महिलाओं को लक्षित कर किए जाने वाले अपराध न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनके सामाजिक और पेशेवर अस्तित्व को भी संकट में डाल देते हैं।

महिला सुरक्षा कानून – घरेलू हिंसा (विशेष सूची)

Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा के प्रकार

1. शारीरिक हिंसा (Physical Abuse)

मारना-पीटना

थप्पड़, लात, घूंसा मारना

जलाना या चोट पहुँचाना

जान से मारने की धमकी देना

2. मानसिक / भावनात्मक हिंसा (Emotional Abuse)

गाली-गलौज करना

अपमानित करना

चरित्र पर संदेह करना

मायके वालों को बुरा कहना

बच्चे न होने पर ताना देना

3. आर्थिक हिंसा (Economic Abuse)

पैसे न देना

नौकरी करने से रोकना

स्त्रीधन / गहने छीन लेना

खाने, दवा या जरूरत की चीजें न देना

4. यौन हिंसा (Sexual Abuse)

जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना

अश्लील व्यवहार

इच्छा के विरुद्ध यौन उत्पीड़न

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत महिलाओं के अधिकार

संरक्षण आदेश (Protection Order)

निवास का अधिकार (Right to Residence)

भरण-पोषण (Maintenance)

मुआवजा (Compensation)

बच्चों की अभिरक्षा (Custody)

पुलिस सहायता प्राप्त करने का अधिकार

भारतीय विधिक ढाँचा (LEGAL FRAMEWORK)

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार।
2. अनुच्छेद 15(3) – महिलाओं के लिए विशेष संरक्षण।
3. अनुच्छेद 21 – जीवन और गरिमा का अधिकार।
4. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 महिलाओं को संरक्षण, निवास का अधिकार, भरण-पोषण तथा सुरक्षा आदेश प्रदान करता है। भारतीय न्याय संहिता तथा दहेज निषेध कानून भी महिलाओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं।

न्यायिक दृष्टिकोण (JUDICIAL APPROACH)

भारतीय न्यायालयों ने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने अनेक मामलों में घरेलू हिंसा को मानवाधिकार उल्लंघन माना है।
न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि महिला को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

घरेलू हिंसा भारतीय समाज में गहराई से व्याप्त समस्या है।

यद्यपि कानून महिलाओं को संरक्षण प्रदान करते हैं, फिर भी सामाजिक भय, आर्थिक निर्भरता और न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता महिलाओं को न्याय प्राप्त करने से रोकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी तथा सामाजिक दबाव घरेलू हिंसा के मामलों को बढ़ावा देते हैं।

विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि केवल कानून पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा भी आवश्यक है।

सुझाव (SUGGESTIONS)

महिलाओं में कानूनी जागरूकता बढ़ाई जाए।

2. घरेलू हिंसा मामलों के लिए विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए जाएँ।
3. पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशील प्रशिक्षण दिया जाए।
4. महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए।
5. विद्यालयों और समाज में लैंगिक समानता की शिक्षा दी जाए।
6. पीड़ित महिलाओं के लिए परामर्श और पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

निष्कर्ष (CONCLUSION)

घरेलू हिंसा महिलाओं की गरिमा और मानवाधिकारों के विरुद्ध गंभीर अपराध है।

भारत में महिलाओं की सुरक्षा हेतु अनेक कानून बनाए गए हैं, किंतु उनके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

कानूनी सुधार, सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ही घरेलू हिंसा को कम किया जा सकता है।

एक सुरक्षित और समान समाज का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जाए।

आभार (ACKNOWLEDGEMENT)

मैं, ममता मुकाती, अपने शोध-प्रबंध ‘‘महिला सुरक्षा कानून - घरेलू हिंसा’’ के सफल संपादन हेतु अपनी मार्गदर्शक डॉ. सुनीता श्रीवास्तव, SAGE University का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग ने इस अध्ययन को संभव बनाया।

मैं अपने विभाग के सभी प्राध्यापकों, विश्वविद्यालय और परिवार के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके सहयोग, समर्थन और प्रेरणा ने मुझे इस शोध-कार्य को पूर्ण करने में सहायता प्रदान की।

संदर्भ (REFERENCES)

1. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
2. भारतीय संविधान
3. राष्ट्रीय महिला आयोग रिपोर्ट
4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्टें
5. अग्रवाल, ए. – महिला अधिकार और कानून
6. शर्मा, आर. – भारतीय समाज और महिला सुरक्षा
7. NCRB रिपोर्ट – महिलाओं के विरुद्ध अपराध